न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदमपुर

पीठासीन अधिकारी–श्री सुभाष कुमार (आर.ए.एस)

मु0न0 – 48/2018

1. प्रीतमसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी 36 बीबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
2. निशानसिंह पुत्र बलराजसिंह जाति जटसिख निवासी 36 बीबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

–प्रार्थीगण–

बनाम्

1. नाजमसिंह पुत्र कृपालसिंह जाति जटसिख निवासी 36 बीबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
2. लखविन्द्रसिंह पुत्र सुखदेवसिंह जाति जटसिख निवासी 36 बीबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
3. राजविन्द्रसिंह पुत्र जरनैलसिंह जाति जटसिख निवासी 36 बीबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
4. जगजीतसिंह पुत्र गुरदेवसिंह जाति जटसिख निवासी 36 बीबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
5. संदीप कौर पत्नी बलजिन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 36 बीबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
6. अमनदीप कौर पत्नी राजविन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी 36 बीबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
7. दर्शनसिंह पुत्र मीहासिंह जाति जटसिख निवासी 36 बीबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
8. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

– अप्रार्थीगण –

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए

(सुभाष कुमार) उपखण्ड अधिकारी पदमपुर (राज.)

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण संख्या 1 प्रीतमसिह पुत्र महेन्द्रसिंह के चक 36 बीबी जमाबन्दी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 64/67 के मु0न0 9 के किला न0 4,7,14,17 प्रत्येक 0.253 है0, किला न0 18/0.101, 23/0.253, 24/2/0.076 है0 नहरी, कुल 1.4420 है0 मु0न0 12 के किला न0 15/2 में 0.215 है0, 16/0.228, कुल 0.443 है0 नहरी, मु0न0 19 के किला न0 14/1/0.089,

Scanned by CamScanner

17/1/0.126, है0 कुल 0.215 है0 खाता का कुल योग 2.100 है0 नाम दर्ज खातेदारी राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थीगण संख्या 2 निशानसिंह पुत्र बलराजसिंह के नाम तहसील पदमपुर के चक 36 बीबी की जमाबन्दी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 17/13 के मु0न0 9 में किला न0 5,6,15,16 प्रत्येक 0.253, 24/1/0.177 है0, 25 में 0.253 है0 कुल 1.442 है0 नहरी मु0न0 12 के किला न0 5 में 0.202 है0, 6 में 0.228, 15/1 में 0.013 है0 नहरी कुल 0.443 है0 खाता का कुल योग 1.885 है0 नहरी आराजी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 के नाम से तहसील पदमपुर के चक 36 बीबी की जमाबन्दी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 52/29 के मु0न0 6 के किला न0 16 में 0.215, 17/0.089 है0, 22/0.089, 23/0.215, 24 व 25 प्रत्येक में 0.253 है0 मय खाला कुलं 1.114 है0 नहरी मय खाला मु0न0 9 के किला न0 1 में 0.215 है0, 2,3,8 ता 13 प्रत्येक में 0.253, 18/1/0.152 है0, 19 ता 22 प्रत्येक में 0.253 है0 कुल 3.403 है0 नहरी मु0न0 12 के किला न0 25 में 0.228, मु0न0 15 के किला न0 5,6 प्रत्येक 0.228 है0, 15 में 0.227 है0 कुल 0.683 है0, मु0न0 19 के किला न0 1 ता 4, 7 ता 13 प्रत्येक में 0.253, 14/2/0.164, 18 ता 23 प्रत्येक में 0.253 है0 नहरी कुल 4.465 है0 नहरी खाता का कुल योग 9.893 है0 नहरी मय खाला में से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम 0.405 है0 बहिब0, अप्रार्थीगण संख्या 3 के नाम से 2.246 है0 नहरी अप्रार्थी संख्या 4 के नाम 0.456 है0 अप्रार्थी संख्या 5 व 6 के नाम 4.731 है0 नहरी बहिब0 अप्रार्थी संख्या 7 के नाम से 2.055 है0 नहरी मुश्तर्का खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड खातेदारी है। प्रार्थी संख्या 1 प्रीतमसिंह की चक 36 बीबी के मु0न0 9 के किला न0 4,7,14,17 प्रत्येक 0.253 है0, 18 में 0.101, 23 में 0.253 है0, 24/2 में 0.076 है0 नहरी कुल 1.442 है0 पर कब्जाकाश्त है तथा प्रार्थी संख्या 1 के नाम है। प्रार्थी संख्या 2 निशानसिंह की चक 36 बीबी के मु0न0 9 के किला न0 5,6,15,16, प्रत्येक में 0.253 है0, 24/1 में 0.177 है0, 25 में 0.253 है0 कुल 1.442 है0 नहरी पर कब्जा काश्त है तथा प्रार्थी संख्या 2 के नाम है मु0न0 9 की शेष आराजी भूमि में मुश्तर्का खाता में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 के नाम से है अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए मु0न0 6 के किला न0 24 व 17 में 2–2 बिस्वा रास्ता चालू है। उक्त रास्ता किला न0 24 व 17 में से होकर किला न0 17 नहर के साथ स्थित सरकारी रास्ता आम को जोड़ता है अर्थात मु0न0 6 के किला न0 24 व 17 में से होकर प्रार्थीगण मु0न0 9 के किला न0 4 से अपनी कृषि भूमि में आते जाते है तथा प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि मे आने जाने के लिए किला न0 24,17 में से ही एकमात्र रास्ता है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थीगण को उपलब्ध नहीं है मु0न0 9 के

सुभाष कुमार
उपखण्ड अधिकारी
पदमपुर (राज0)

Scanned by CamScanner

.केला न0 4 व मु0न0 6 के किला न0 24 के मध्य सरकारी खाला है। इस सरकारी खाला के साथ–2 दोनों साईडों में घरेलू खाले भी हैं जिसके उपर से जाने के लिए प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की सहमति से पक्की पुली बनी हुई है। प्रार्थीगण उक्त चालू रास्ता को मंजूर करवाने के अधिकारी है। चक 36 बीबी के मु0न0 6 के किला न0 24 व 17 की कृषि भूमि अप्रार्थीगण के नाम से मुश्तर्का खाता में दर्ज है प्रार्थीगण ने अपनी कृषि भूमि मु0न0 9 के किला न0 4 में प्रवेश करने के लिए मु0न0 6 के किला न0 24 व 17 में 2–2 बिस्वा चालू रास्ता को मंजूर करवाने के लिए अप्रार्थीगण को कहा तो अप्रार्थीगण रास्ता मंजूर करवाने से साफ इंकार हो गये यही वाद कारण प्रार्थीगण को हासिल है तथा अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण का रास्ता बन्द करने पर उतारू हैं। यदि अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण का रास्ता बन्द करने में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को भारी मानसिक कष्ट होकर भारी असुविधा होगी। प्रार्थीगण चक 36 बीबी के मु0न0 6 के किला न0 24, 17 में 2–2 बिस्वा चौड़ा रास्ता मंजूर होने पर कानूनी प्रावधानों के अनुसार जमीन के बदले जमीन या डीएलसी दर के अनुसार राशि देने के लिए तैयार व तत्पर हैं। प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि चक 36 बीबी के मु0न0 6 के किला न0 24 में 2 बिस्वा व किला न0 17 में 2 बिस्वा चौड़ा अर्थात किला न0 24 में 2 बिस्वा, किला न0 17 में आधा बिस्वा कुल 2–1/2 बिस्वा रास्ता मंजूर किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। नोटिस बाद तामील अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 हाजिर नहीं आये। आवाज लगाई गई, उपस्थित नहीं, बार–बार आवाज लगाई गई। अप्रार्थीगण के उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण संख्या 3,5,6,7 की ओर से अधिवक्ता श्री मदनलाल बंसल द्वारा दर0 अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सीपीसी पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण के विरूद्व दिनांक 22.05.2019 को की गई एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश को अपास्त कर प्रार्थीगण को पत्रावली में उपस्थित होकर कार्यवाही करने की अनुमति दी जाये एवं इसके साथ जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है जो निरस्तनीय है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में चक 36 बीबी के खाता संख्या 64/67 के मु0न0 9, मु0न0 12, व मु0न0 19 की भूमि जो प्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज की है उक्त तथ्य रिकार्ड से साबित करने का भार प्रार्थीगण पर है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में चक 36 बीबी के खाताा संख्या 52/29 के मु0न0 6 के किला न0 16/0.215, 17/0.089, 22/0.089, 23/0.215, 24 सालम, 25

(सुभाष कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
पदमपुर (राज0)

Scanned by CamScanner

सालम कुल 1.114 है0 भूमि एवं मु0न0 9 के किला न0 1 ता 3, 9 ता 13, 18/1 से 22 की 3.403 है0, मु0न0 12 के किला न0 25 की 0.228 है0, मु0न0 15 के किला न0 5,6,15 की 0.683 है0, मु0न0 19 के किला न0 1 ता 23 के 4.465 है0 कुल 9.893 है0 मुश्तर्का खाता में प्रतिवादी संख्या 3 राजविन्द्रसिंह की 2.246 है0, प्रतिवादी संख्या 5 व 6 की कुल 4.731 है0 एवं प्रतिवादी संख्या 7 की 2.055 है0 भूमि खातेदार दर्ज है। उक्त भूमि तमाम मुश्तर्का खाता में है। प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय को गुमराह करते हुए हम अप्रार्थीगण के नाम भूमि किलेवाईज दर्ज की है जो गैरकानूनी है एवं तथ्यों के विपरीत कथन है। मुश्तर्का खाता की भूमि में रास्ता मंजूर नहीं करवाया जा सकता। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण आधारहीन होने से निरस्तनीय है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 के तथ्य भी रिकार्ड के विपरीत दर्ज किये हैं। अप्रार्थी के नाम जितनी भूमि है वह जवाब प्रार्थना पत्र के पैर संख्या 3 में रिकार्ड अनुसार वर्णित की गई है। अप्रार्थीगण की तमाम भूमि मुश्तर्का खाता में संयुक्त स्वामित्व की है जिसमें सभी काश्तकारान का प्रत्येक इन्च पर संयुक्त स्वामित्व व संयुक्त कब्जा होता है। मुश्तर्का खाता की भूमि में रास्ता किस काश्तकार की भूमि से मांगा जाये यह स्पष्ट ही नहीं हो पाता है। मु0न0 6 में बीबी माईनर नहर बनी हुई है इस नहर के साथ कोई रास्ता स्वीकृत नहीं है प्रार्थीगण का यह कहना कि मु0न0 6 में स्थित नहर के साथ रास्ता से होकर किला न0 17 व 24 में प्रवेश करता है उक्त कथन बेबुनियाद व झूठे दर्ज किये है जो अस्वीकार है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि जो मु0न0 9 मे है प्रार्थीगण की चिपती भूमि मु0न0 18 की है और मु0न0 18 के किला न0 21 से 25 में सड़क मौजूद है। प्रार्थीगण को मु0न0 18 की सड़क से होकर अपनी कृषि भूमि मु0न0 9 में आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। ऐसी सूरत में भी प्रार्थीगण हम अप्रार्थीगण की भूमि में कोई रास्ता का क्लेम करने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद सख्या 5 में प्रार्थीगण द्वारा हम अप्रार्थीगण के मुश्तर्का खाता की भूमि जो चक 36 बीबी के खाता संख्या 52/29 के मु0न0 6,9,12,15,19 की 9.893 है0 भूमि मुश्तर्का खाता की है उक्त मुश्तर्का खाता की भूमि में मु0न0 6 के किला न0 17 व 24 की भूमि रास्ता की मांग की गई है जबकि मु0न0 6 के किसी भी किला में कोई रास्ता स्वीकृत नहीं है तो बीच के दो बीघा, किला न0 17 व 24 में रास्ता हेतु मांग कानूनन नहीं की जा सकती है। अप्रार्थीगण लघु कृषक है अप्रार्थीगण की भूमि में रास्ता स्वीकृत करने से अप्रार्थीगण को भारी असुविधा होगी। जबकि प्रार्थीगण के पास अपनी कृषि भूमि से चिपते मु0न0 18 के किला न0 21 ता 25 की सड़क वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। मु0न0 6 के किला न0 17 व 24 के आगे जब कोई रास्ता मौजूद नही है तो ऐसी सूरत में उक्त प्रार्थना पत्र

(सुभाष कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
पदमपुर (राज0)

Scanned by CamScanner

के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। चूंकि अप्रार्थीगण मु0न0 6 के किला न0 17 व 24 आवागमन नहीं किया है ऐसी सूरत में जब मौके पर कोई रास्ता चालू ही नहीं है तो रास्ता बन्द करने का कोई प्रश्न आस्तित्व में ही नहीं आता है। तमाम तथ्य गलत एवं बेबुनियाद दर्ज किये है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 के तथ्य भी कानून विरूद्ध है क्योंकि चक 36 बीबी के मु0न0 6 के किला न0 17 व 24 के बराबर किसी भी किला में कोई रास्ता नहीं है। इसलिए बीच में दो बीघों में रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। प्रार्थीगण की मांग कानूनी विरूद्ध एवं टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण आधारहीन तथ्यों पर पेश किया है जो भारी हर्जाने के साथ खारिज किया जाये।

दर0 अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सीपीसी एवं जवाब प्रार्थना पत्र की प्रति वकील प्रार्थीगण को दिलाई गई। वकील प्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित तथ्य कि दिनांक 16.04.2019 के लिए सम्मन जारी हुए थे यह गलत तथ्य प्रार्थीगण स्वयं स्वीकार करते हैं तथा न्यायालय प्रांगण में उपस्थित आना स्वीकार करते हैं परन्तु प्रार्थीगण ने न तो. उक्त अनवानी पत्रावली में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई ना ही प्रार्थीगण की ओर से वकालतनामा पेश हुआ। प्रार्थीगण को समय पर तामील हो चुकी थी और न्यायालय में तारीख पेशी दिनांक 16.04.2019 होने का ज्ञान भी था इसलिए प्रार्थीगण के खिलाफ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.05.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई, वह विधि सम्मत की गई है। इसलिए प्रार्थीगण एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त करवाने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 असत्य है अतः अस्वीकार है जिस दिनांक को सम्मन प्रार्थीगण को तामील हुए थे उसकी जानकारी उपरोक्त मद में वर्णित तरीके से प्रार्थीगण को थी प्रार्थीगण जानबूझकर प्रार्थना पत्र में विलम्ब कारित करना चाहते हैं। तहसीलदार पदमपुर की रास्ता के संबंध में रिपोर्ट न्यायालय में पेश हो चुकी है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के साथ कोई शपथ पत्र भी पेश नहीं किया है। इसलिए प्रार्थीगण रास्ता स्वीकृति प्रार्थना पत्र में विलम्ब कारित करना चाहते हैं तथा सायलान को रास्ता स्वीकृत करवाने के उद्देश्य में बाधा कारित कर तंग व परेशान करना चाहते हैं। जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आधारहीन होने के कारण भारी खर्चे के साथ खारिज किया जावे।

(सुभाष कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
पदमपुर (राज0)

वकील फरीकेन उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सीपीसी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने बहस में कथन किया कि अप्रार्थीगण न्यायालय के

Scanned by CamScanner

प्रांगण में आये परन्तु अप्रार्थीगण ने पत्रावली में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई ना ही वकालतनामा प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण को तामील हो चुकी थी व तारीख पेशी का भी ज्ञान था इनके खिलाफ की गई एकपक्षीय कार्यवाही विधि सम्वत है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सीपीसी भारी हर्जाने के साथ खारिज किया जावे। इस संबंध में वकील अप्रार्थीगण ने बहस में कथन किया कि अप्रार्थीगण तारीख पेशी 16.04.2019 को न्यायालय में गये। पीठासीन अधिकारी मौजूद नहीं थे, शाम तक न्यायालय प्रांगण में रहे थे। साहब नहीं आये। प्रार्थीगण कम पढे लिखे ग्रामीण व्यक्ति एवं महिला है जिन्हें न्यायालय की कार्यवाही की जानकारी नहीं है। अभी तक पत्रावली में कोई भी आगामी कार्यवाही नहीं हुई है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

वकील उभय पक्ष की बहस का मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सीपीसी का स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सीपीसी स्वीकार किया जाकर दिनांक 22.05.2019 को अप्रार्थी संख्या 3,5,6,7 के विरूद्ध की गई एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त की जाती है एवं अप्रार्थी संख्या 3,5,6,7 का जवाब पूर्व में प्रस्तुत किंया जा चुका है।

इस संबंध में तहसीलदार पदमपुर ने अपने पत्रांक राजस्व/2019/533 दिनांक 31.07.2019 पेश कर निवेदन किया है कि चक 36 बीबी के खाता संख्या 64 के मु0न0 9 के किला न0 4,7,14,17,18,23,24/2 में कुल 1.442 है0 नहरी भूमि प्रीतमसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जटसिख सा0 देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। इसी चक के खाता संख्या 17 में मु0न0 9 में 5,6,15,16,24/1, 25 में कुल 1.442 है0 नहरी भूमि निशानसिंह पुत्र बलराज सिंह जाति जटसिख सा0 देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण अपनी उक्त भूमि में आने जाने हेतु रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते हैं, उक्त प्रकरण में वांछित ज़ांच रिपोर्ट इस प्रकार से है कि खातेदार को वास्तव में रास्ता की आवश्यकता है, वर्तमान में प्रार्थी बीबी नहर की पटरी से होते हुए चक 36 बीबी के मु0न0 6 के किला न0 17 व 24 में से होकर काफी समय (वर्षो) से आना जाना कर रहे हैं। चाहा गया रास्ता मौका पर चालू है। चाहे गये रास्ता को प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में आने–जाने हेतु स्वीकृत किया जाना उचित है, अन्य कोई विकल्प नहीं है। वर्तमान में किसी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नहीं है और न ही किसी प्रकार का कोई स्थगन है। नक्शा मौका चाहे गये रास्ते सहित पत्र के सलंग्न कर दिया है। मौके पर रास्ता चालू है तथा प्रार्थी इसी चाहे गये रास्ते से आना–जाना कर रहा है। रास्ता स्वीकृत किया जावे तो इसी चक के मु0न0 9 के किला न0 1 ता 3 द्वितीय पक्ष के है व मु0न0 9 में कुल 3.403 है0 नहरी भूमि द्वितीय पक्ष की है।

सुभाष कुमार
उपखण्ड अधिकारी
पदमपुर (राज०)

Scanned by CamScanner

वकील फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि चक 36 बीबी के मु0न0 6 के किला न0 24 2 बिस्वा व किला न0 17 में 2 बिस्वा चौड़ा अर्थात किला न0 24 में 2 बिस्वा, किला 0 17 में आधा बिस्वा कुल 2–1/2 बिस्वा रास्ता मंजूर किया जावे। प्रार्थीगण इसके ए जमीन के बदले जमीन या डीएलसी दर के अनुसार राशि देने के लिए तैयार व त्पर हैं। प्रार्थीगण के पास उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। उक्त रास्ता मंजूर किये जाने हेतु निवेदन किया एवं वकील अप्रार्थीगण ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त चाही गई रास्ता की भूमि मुश्तर्का खाता की भूमि है जिसमें रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित नहीं है एवं अप्रार्थीगण एक लघु कृषक है, उक्त रास्ता मौके पर चालू नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया एवं तहसीलदार पदमपुर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तो पाया कि मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण उक्त रास्ता का उपयोग कई वर्षो से कर रहे हैं प्रार्थीगण के पास उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। उक्त रास्ता मौके पर चालू है जिसे स्वीकृत किये जाने की अनुशंषा तहसीलदार पदमपुर द्वारा की गई है एवं उक्त रास्ता पर वर्तमान में किसी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नहीं है और न ही किसी प्रकार का कोई स्थगन है। इसलिए तहसीलदार पदमपुर की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 36 बीबी के मु0न0 6 के किला न0 24 में 2 बिस्वा, किला न0 17 में आधा बिस्वा कुल 2–1/2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रास्ता की एवज् में प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण को चिपती हुई भूमि देगें। निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) पदमपुर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करने हेतु भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 28/1/2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया

(सुभाष कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
पदमपुर

(सुभाष कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
पदमपुर (राज०)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Kumar
Date: 2020.02.24 12:25:19 IST
Reason: SelfAttested
Location: